UPBP010017852026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या–6), बलरामपुर
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–643/2026
सी०एन०आर० संख्या–**UPBP010017852026**
(रजिस्टर संख्या–453/2026)
मो०तारीफ उर्फ मास्टर प्रति उ०प्र०राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–51/2026
धारा–109(1), 324(2) बी०एन०एस०
3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम
व 7 सी०एल०ए०एक्ट
थाना–पचपेड़वा, जिला–बलरामपुर

10.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मो०तारीफ उर्फ मास्टर पुत्र मुस्लिम, निवासी ग्राम नैकनिया, पोस्ट पुरनपुर, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, उ०प्र० की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथपत्र मुकदमा अपराध संख्या–51/2026 धारा–109(1), 324(2) बी०एन०एस० 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 7 सी०एल०ए०एक्ट थाना–पचपेड़वा, जिला–बलरामपुर में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 28.04.2026 को वादी मुकदमा उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह चौकी प्रभारी कस्बा पचपेडवा मय उ0नि0 श्री दिनेश राय चौकी प्रभारी वीरपुर सेमरा, उ0नि0 श्री अमित चौरसिया, हे0कां० छोटेलाल यादव, हे०कां० शैलेन्द्र कुमार मय हमराह का० अरविन्द कुमार यादव, कां० गौतम यादव, कां० जितेन्द्र कुमार, कां० रमेश निषाद के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, शांति सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में कस्बा पचपेड़वा नई बाजार में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास यह सूचना मिली की एक सफेद रंग की पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर BR22GC3256 जोकि काले रंग के तिरपाल से ऊपर से ढकी हुयी है जिसका चालक उसे बहुत तेज गति से तुलसीपुर की ओर से लेकर बढ़नी की ओर आ रहा है जिसमें गौवंश गौतस्करी कर वध करने की नियत से नेपाल या बिहार की ओर ले जाया जा रहा है यदि आप लोग जल्दी करेंगे तो उक्त पिकअप को पकड़कर उसमें लदे हुये गौवंश को बरामद कर गौकशी से बचाया जा सकता है। इस सूचना पर मैं उ0नि0 विश्वास करते हुए उक्त ड्यूटी के सम्बन्ध में पूर्व से रवानाशुदा द्वितीय टीम उ0नि0 श्री विजयनाथ यादव, उ0नि0 श्री फुल्लर प्रसाद, हे0का0 ब्रह्मदेव यादव, का० समीर कुमार, का0 अरुण कुमार प्रजापति, का0 अंशू कुशवाहा जोकि संदिग्ध व्यक्ति एंव वाहनों की चेकिंग विशुनपुर टनटनवा ओवरब्रिज के पूर्वी किनारे पर कर रही थी उनको जरिये उचित माध्यम सूचना देते हुये एलर्ट कराया गया तथा अवगत कराया गया कि उक्त वाहन को वहां पर रोकते हुए सूचित किया जाये यदि उक्त वाहन किन्ही कारणो वश वहां पर नहीं रुकती है तो तत्काल फर्स्ट पार्टी को सूचना देंगे व उक्त कार्य को बहुत सावधानी से स्पादित करेंगे तथा वादी द्वारा हमराहियान पुलिस बल को मुनासिव हिदायत कर नई बाजार चौराहे पर एलर्ट पोजीशन पर रोका गया कि कुछ समय पश्चात द्वितीय पार्टी से यह सूचना आयी की एक सफेद पिकअप वाहन जोकि तुलसीपुर की ओर से काफी तेज स्पीड में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आता हुआ दिखायी दिया जिसके चालक को रोके जाने का संकेत दिये जाने पर उसके द्वारा उक्त वाहन को और तेज गति से चलाकर बढ़नी की और भागने का प्रयास किया गया । जिसपर उ0नि0 मय हमराहियान कर्मचारीगण को अवगत कराते हुए उक्त वाहन को रुकवाये जाने के लिये रोड पर गुजर रहे एक ट्रैक्टर ट्राली से ब्लाक कराया गया।

ट्रैक्टर ट्राली उपरोक्त नई बाजार चौराहे से थोड़ा पहले पूरे रोड़ पर उत्तर दक्षिण की ओर लम्बा लम्बा खड़ा कराकर रोड को ब्लाक कराया गया कि उसी दौरान उक्त पिकअप चालक जोकि अपने वाहन को काफी तेज गति से लेकर आ रहा था, को ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से निकालने का प्रयास करते हुए जिसे विशुनपुर टनटनवा पर लगी पुलिस टीम के द्वारा रुकवाने हेतु पीछा किया जा रहा था, वह वहां पर मौजूद आम जनमानस व ठेला दुकानदार व पुलिस कर्मियो के ऊपर जान से मारने की नियत से अपने वाहन को चढ़ाते हुये निकल कर भागने का प्रयास किया गया जिससे मौके पर कई फल व सब्जियो के ठेले टूट गये कुछ लोगो को काफी चोंटे आयी है। उक्त घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गयी व मौके पर मौजूद दुकानदार लोग अपनी दूकानों का शटर बंद करके भागने लगे जिससे उस समय नई बाजार चौराहे का माहौल भयाक्रान्त हो गया। उक्त पिकअप चालक के द्वारा अपने वाहन पिकअप को बैक करते समय एक ठेला पीछे से फंस जाने के कारण पीछे नही बढ़ सका, पिकअप मे आगे कैबिन में बैठे हुए तीन व्यक्तियो मे से दो व्यक्ति गेट खोलकर भागने लगे जिसमे से पुलिस पार्टी द्वारा एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया व एक व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। मौके पर पकड़े गये व्यक्ति व पिकअप में पब्लिक द्वारा घेरे गये पिकअप चालक से क्रमशः उनका नाम पता व भागने का कारण पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो चालक द्वारा अपना नाम मुन्ना कुमार यादव पुत्र रमेश यादव तथा दूसरे ने जो सहयोगी के रुप में मौजूद था अपना नाम कासिम पुत्र शब्बीर निवासी डिगही थाना ठूठीबारी जनपद महराजगंज व मौके से भागने में कामयाब रहे व्यक्ति के सम्बन्ध में दोनो से कड़ाई से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि वह व्यक्ति मदन पुत्र झिरमुट्टी बताया उक्त मौक पर पकड़े गये दोनों व्यक्तियो की जामा तलाशी से उनके पास से क्रमशः कासिम की दाहिनी जेब से 1200 रुपये जिसमे एक नोट 200 रुपये का व दो नोट 500 रुपये का व एक कीपैड लावा मोबाइल नं0 89319XXXXX व दूसरे व्यक्ति चालक की पेंट की दाहिनी जेब से कुल 1300 रुपये दो नोट 500 रुपये व तीन नोट 100 रुपये के मौजूद मिले व उसकी पैन्ट की जेब से एक अदद एंड्रायड मोबाइल मिला जिसका मोबाइल नं 86031XXXXX है उक्त दोनो व्यक्तियों से पुलिस व जनता द्वारा वाहन को रुकवाये जाने का प्रयास करने पर भी वाहन न रोके जाने व पुलिस व जनता के ऊपर वाहन को जान से मारने की नियत से चढ़ाये जाने जिससे कई जनता के व्यक्ति व पुलिस के लोग घायल हो जाने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछने पर उक्त दोनो व्यक्तियों के द्वारा यह बताया गया कि साहब हम लोग बिहार से यहाँ पर मो० तारीफ उर्फ मास्टर के बुलाये जाने पर बिहार से गौवंश की तस्करी उनका मांस गौकशी कर बिहार व नेपाल मे बेचने के लिये ले जाने हेतु ग्राम डोमनपट्टी थाना खड्डा जिला कुशीनगर उ0प्र0 निवासी सलमान को सप्लाई देते है तथा ये लोग सलमान के साथ बिहार तथा नेपाल मे गौवंश को गौकशी के लिये सप्लाई करते है उसके द्वारा ही पैसा दिया जाता है उक्त जानवरों की बिक्री से मिले हुये धन को ये लोग आपस में बांटकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है। ये लोग आज से पहले भी कई बार गौवंशीय जानवरों को गौकशी के लिये तुलसीपुर के रहने वाले मो० तारीफ उर्फ मास्टर के बुलाने पर आकर जानवर गौवंश लेकर जा चुके है मो० तारीफ उर्फ मास्टर आवारा गोवंशीय पशुओं को पकड़कर हम लोगो को सस्ते दाम पर देता है। जिन्हे ये सभी लोग आर्थिक लाभ हेतु गौमांस के रुप मे सप्लाई कर देते है साहब हम लोगो से बहुत बड़ी गलती हो गयी है इस बार माफ कर दो अब दोबारा ऐसी गलती हम लोगो से नही होगी यही कहते हुए बार– बार मांफी मांग रहे है उक्त पिकअप चालक व उसमे मौजूद व्यक्तियों के द्वारा गौवंश की तस्करी गौकशी कराये जाने के लिये की जा रही है व उक्त अभियुक्तगण को चेकिंग के दौरान रोके जाने पर उनके द्वारा भागने का प्रयास करते हुये पुलिस टीम व आम जनता को जान से मारने का प्रयास किया गया है व गोवंश की गोकशी हेतु तस्करी की गयी है जिससे उनके विरुद्ध जुर्म धारा 109 (1)/324 (2) बीएनएस व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० व 7 CLA एक्ट के अपराध का होना पाया जाता है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (ई०सी०एक्ट) को सुना तथा केसडायरी का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त अभियोग विपक्षी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध असत्य, निराधार एवं मनगढ़न्त आरोप लगाकर पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी निर्दोष एवं कानून

का पालन करने वाला सम्मानित व्यक्ति है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 28.04.2026 को पुलिस द्वारा वाहन संख्या BR22GC3256 से चार गोवंशीय पशुओं की बरामदगी दर्शायी गयी तथा दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी प्रदर्शित की गयी है। प्राथमिकी में प्रार्थी को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है तथा न ही प्रार्थी के कब्जे अथवा निशानदेही से किसी प्रकार की कोई बरामदगी दर्शायी गयी है। प्रार्थी का नाम केवल सहअभियुक्तों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये गये कथित बयान के आधार पर प्रकाश में लाया गया है। उक्त कथित बयान का कोई स्वतंत्र समर्थन अथवा corroboration अभियोजन के पास उपलब्ध नहीं है। प्राथमिकी में कहीं भी प्रार्थी के कब्जे से गौमांस की बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। केवल जीवित पशुओं की बरामदगी दिखायी गयी है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी को कथित रूप से घटना से जोड़ने हेतु केवल अनुमान एवं सहअभियुक्तों के कथित इकबालिया बयान का सहारा लिया गया है। सहअभियुक्तों द्वारा पुलिस हिरासत में दिया गया कथित बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है तथा मात्र उसी आधार पर प्रार्थी की गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती। प्राथमिकी में वर्णित सम्पूर्ण घटना में प्रार्थी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। न तो प्रार्थी वाहन पर मौजूद था और न ही कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी उसके विरुद्ध उपलब्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह समाज का सम्मानित व्यक्ति है। प्रार्थी के फरार होने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी विवेचना में पूर्ण सहयोग करने हेतु तैयार है तथा जब भी विवेचक अथवा न्यायालय द्वारा बुलाया जायेगा, उपस्थित होगा। प्रार्थी को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि पुलिस उसे किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्रता को अपूरणीय क्षति पहुँचेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो तथा गिरफ्तारी की आवश्यकता विवेचना हेतु अनिवार्य न हो, वहाँ उसकी स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का पालन करने हेतु बाध्य रहेगा। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाय।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (ई०सी०एक्ट) ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा इस आशय का तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर BR22GC3256 में 4 अदद बैलों को गोकशी के लिए लेकर जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पीछा करने पर उनके द्वारा वाहन को बहुत तेजी से चलाकर सड़क के किनारे लगे ठेलों व जनता के लोगों को चोटें पहुंचाई। सहअभियुक्त को पकड़े जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त मो० तारीफ उर्फ मास्टर के बुलाये जाने पर बिहार से गौवंश की तस्करी कर उनका मांस गौकशी कर बिहार व नेपाल में बेचने के लिये ले जाने हेतु ग्राम डोमनपट्टी थाना खड्डा जिला कुशीनगर उ 0 प्र 0 निवासी सलमान को सप्लाई देते है तथा ये लोग सलमान के साथ बिहार तथा नेपाल मे गौवंश को गौकशी के लिये सप्लाई करते है उसके द्वारा ही पैसा दिया जाता है उक्त जानवरों की बिक्री से मिले हुये धन को ये लोग आपस में बांट लेते हैं। मामले में अभि विवेचना प्रचलित है। उक्त मामले में सहअभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. पत्रावली में उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चार अदद गोवंशीय बैलों को लादकर पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर BR22GC3256 में गोकशी के लिए लेकर जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पीछा करने पर उनके द्वारा वाहन को बहुत तेजी से चलाकर सड़क के किनारे लगे ठेलों व जनता के लोगों को चोटें पहुंचाई। सहअभियुक्त को पकड़े जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त मो० तारीफ उर्फ मास्टर के बुलाये जाने पर बिहार से गौवंश की तस्करी कर उनका मांस गौकशी कर बिहार व नेपाल में बेचने के लिये ले जाने हेतु ग्राम डोमनपट्टी थाना खड्डा जिला कुशीनगर उ 0 प्र 0 निवासी सलमान को सप्लाई देते है तथा ये लोग सलमान के साथ बिहार तथा नेपाल मे गौवंश को गौकशी के लिये सप्लाई करते है उसके द्वारा ही पैसा दिया जाता है उक्त जानवरों की बिक्री से मिले हुये धन को ये लोग आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन

से प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। हस्तगत मामले में सहअभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

7. उभय पक्षों के तर्कों, प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर बिना मत व्यक्ति किये हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर निर्मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त मो०तारीफ उर्फ मास्टर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या –51/2026 धारा– 109(1), 324(2) बी०एन०एस० 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 7 सी०एल०ए०एक्ट थाना–पचपेड़वा, जिला–बलरामपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–10.06.2026

(प्रदीप कुमार–।।।)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–6 बलरामपुर।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1591

Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2026.06.10 16:25:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court